न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी)एक्ट, हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0 ओ 0 कोड–यू0 पी0 6459

UPHM010001992011
विशेष वाद संख्या–29/2011

राज्य बनाम

1. **जयपाल** पुत्र गयाप्रसाद राजपूत
2. **श्रीपाल** पुत्र शिवनारायण राजपूत
3. **हरी मोहन** पुत्र वीरेन्द्र राजपूत
4. **शैलेन्द्र** पुत्र गयाप्रसाद
5. **कल्लू** पुत्र लाखन सिंह
6. **देवेन्द्र** पुत्र लाखन सिंह
7. **रमाकान्त** पुत्र रन्तदेव **(मृतक)**
8. **सन्दीप** पुत्र हरचन्द्र
9. **धीरेन्द्र** पुत्र खलक सिंह
10. **बृजमोहन** पुत्र वीरन **(बाल अपचारी)**
11. **सतीश** पुत्र जग्गा
12. **बृजकिशोर प्रधान** पुत्र ईश्वरदास **(मृतक)**

निवासीगण ग्राम बण्डवा थाना मुस्करा ,
जिला हमीरपुर उ 0 प्र 0।

.....अभियुक्तगण

मु0 अ 0 सं0–489/2010
धारा– 147, 148, 452, 323/149, 504, 506 व
धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट।
थाना–मुस्करा, जिला हमीरपुर।

अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता – श्री विजय सिंह, विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता – श्री रामशरण सिंह गौतम एड 0

निर्णय

प्रस्तुत विशेष वाद पुलिस थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल एवं हरीमोहन के विरूद्ध मु0 अ 0 सं0–489/2010 अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में आरोप पत्र सं0–95/2010 प्रेषित करने के आधार पर संस्थित हुआ। तदुपरांत वादिनी मुकदमा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 29.07.2015 अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2017 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्तगण शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, संदीप, धीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर को उपरोक्त अपराध में तलब किया गया, तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा **अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, संदीप, धीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर का विचारण धारा–147, 148, 149, 452, 323, 504, 506**

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.05.07 13:30:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भा0 दं0 सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए किया गया।

वादिनी मुकदमा पुष्पारानी पत्नी खूवचन्द्र, निवासिनी ग्राम वण्डवा, थाना मुस्करा, तहसील सरीला जिला हमीरपुर द्वारा दिनांक 24.06.2010 को जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 प्रस्तुत किया गया कि वह कोरी अनु० जाति की महिला है उसके गाँव के दबंग लोग जयपाल व शैलेन्द्र पुत्रगण गयाप्रसाद, कल्लू पुत्र लाखन सिंह, देवेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, रमाकान्त पुत्र रन्तदेव, सन्दीप पुत्र हरकचन्द्र, धीरेन्दर पुत्र खलक सिंह, हरीमोहन व बृजमोहन पुत्रगण वीरन श्रीपाल पुत्र हल्के, सतीश पुत्र जग्गा, बृज किशोर प्रधान ग्राम वण्डवा, एकराय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डा, तमन्चा बन्दूक लेकर समय करीब सुबह 9 बजे दिनांक 24.06.2010 ई० को घर के अंदर घुस आए और बुरी बुरी मां बहन की गालिया देते हुए घर में मौजूद उसके पति खूवचन्द्र ,जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीती, प्रतिमाँ व लड़का विपिन, अशोक व उसे बुरी तरीके से मारापीटा। उसके परिवारीजन मारपीट से जब घर से बाहर की ओर भागे तब भी बाहर मारपीट किया। उक्त शैलेन्द्र उसकी लडकी सावित्री देवी को गंदे गंदे पत्र लिखता था, जिसका विरोध वह व उसके परिवारीजन व उसके पति करते थे। इस बात को लेकर उक्त लोग नाराज रहते थे। इस बात की शिकायत उसने थाने पर भी की थी, जिससे उक्त लोग और नाराज हो गए थे। उक्त लोगों की मारपीट से उसके लड़के व लड़कियों व पति व जेठ के शरीर पर गंभीर चोट आई हैं जाते समय सभी मुल्जिमान जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गांव के अन्य लोगों के आ जाने पर गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। वह सभी चुटहिल परिवार के लोग थाना मुस्करा घटना की सूचना देने गए तो वहाँ पर मौजूद दरोगा जी ने गाली देकर भाग दिया है व उसके पति व लड़की को थाने पर बैठा लिया है और घटना की रिपोर्ट नहीं दर्ज की है। मुकामी पुलिस मुल्जिमानों के प्रभाव में है। उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाकर घटना में चुटहिल उसके परिवारीजनों का डाक्टरी परीक्षण करवारकर उसे व उसके परिवार को जानमाल की सुरक्षा करने की प्रार्थना की है। उक्त दबंग जाति के लोधी है।

वादिनी मुकदमा पुष्पारानी पत्नी खूवचन्द्र की ओर से प्रस्तुत तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 28.06.2010 को समय 10.30 ए.एम. बजे अभियुक्तगण जयपाल, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, सन्दीप, धीरेन्द्र, हरीमोहन, बृजमोहन, श्रीपाल, सतीश एवं बृजकिशोर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ 0 सं0–489/2010, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 452 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मुस्करा जिला हमीरपुर पंजीकृत की गयी तथा जिसका उल्लेख जी0 डी0 संख्या–16 दिनांक 28.06.2010 को समय करीब 10.30 बजे किया गया।

विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण करके साक्षीगण के बयान अंकित करने व अन्य प्रपत्र संकलित करने के उपरांत विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की तथा मात्र अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल एवं हरीमोहन के विरूद्ध मु०अ०सं०–489/2010, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–95/2010 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दाण्डिक वाद सं0–567/2010, मु0 अ 0 सं0–489/2010, राज्य बनाम जयपाल एवं 02 अन्य, अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं व धारा–3(1)10, एससी/एसटी एक्ट, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर की पत्रावली विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 207 द 0 प्र 0 सं0 के तहत नकलें प्रदान कर सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 04.04.2011 द्वारा मामले को सत्र के सुपुर्द की गयी जो कि विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल व 02 अन्य के रूप में दर्ज की गयी तथा अन्तरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2011 को अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल एवं हरी मोहन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के तहत विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

वादिनी मुकदमा की ओर से दिनांक 29.07.2015 को इस न्यायालय के समक्ष अभियुक्तगण शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, सन्दीप, धीरेन्द, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर प्रधान के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0 प्र 0 सं0 प्रस्तुत किया गया, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2017 को वादिनी मुकदमा का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए, अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर तलब किया गया।

तत्पश्चात् न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2018 को अभियुक्तगण शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, सन्दीप, धीरेन्द, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर प्रधान के आरोप अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 452, 323, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी, एक्ट विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया गया, अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की।

दौरान विचारण अभियुक्तगण रमाकान्त पुत्र रन्तदेव व बृजकिशोर प्रधान पुत्र ईश्वरदास की मृत्यु हो जाने के कारण उपरोक्त वाद की कार्यवाही उनके विरूद्ध दिनांक 16.10.2025 को उपशमित की गयी तथा अभियुक्त बृजमोहन पुत्र वीरन के बाल अपचारी पाये जाने के आधार पर दिनांक 16.03.2026 को उसकी पत्रावली किशोर न्यायबोर्ड संदर्भित की गयी।

अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है जिनके द्वारा विभिन्न अभियोजन प्रपत्र को साबित किया गया है–

क्र 0 सं0	साक्षी	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	पी०डब्लू० 1	श्रीमती पुष्पा	वादिनी मुकदमा	तहरीर दिनांक 24.06.2010	प्रदर्श क–01
2	पी०डब्लू० 2	खूबचन्द्र	चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
3	पी०डब्लू० 3	प्रीति	चक्षुदर्शी साक्षी	–	–
4	पी०डब्लू० 4	डा० धर्मेन्द्र सिंह राजपूत	मेडिकलकर्ता	इंजरी रिपोर्ट चुटहिल पुष्पा	प्रदर्श क–02
				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल प्रीती	प्रदर्श क–3

				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल खूबचन्द्र	प्रदर्श क–4
				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल विपिन	प्रदर्श क–5
				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल अशोक	प्रदर्श क–6
				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल सावित्री	प्रदर्श क–7
				इंजरी रिपोर्ट चुटहिल प्रतिमा	प्रदर्श क–8
5	पी०डब्लू० 5	का०मु० कृष्णलाल	एफआईआर व जीडी तैयार कर्ता	प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2010	प्रदर्श क–09
				जीडी सं०–16 दिनांक 28.06.2010	प्रदर्श क–10
				नक्शा–नजरी	प्रदर्श क–11
				आरोप पत्र	प्रदर्श क–12

अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया है।

अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण जयपाल आदि के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० दिनांक 07.02.2026 को अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0 प्र 0 सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षीगण द्वारा गलत बयान देने व गलत प्रपत्र तैयार किए जाने, चिकित्सक द्वारा गलत इंजरी रिपोर्ट बनाए जाने का कथन किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा कथित घटना के दिनांक व समय पर बताया कि वे बाहर थे तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया है।

बचाव पक्ष की ओर से कागजात सूची 221 ख से नकल आरोप 222 ख/2 मु०अ०सं०–489A/2010 अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा०दं०सं० बनाम खूबचन्द्र आदि थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर की नकल, प्रथम सूचना रिपोर्ट 223 ख/2 मु०अ०सं०–489A/2010 अन्तर्गत धारा–289, 336, 504 भा०दं०सं०, कागज सं०–224 ख/1 लगायत 224 ख/18 नकल बयान पी०डब्लू०–01 लगायत पी०डब्लू०–6 विशेष वाद सं०–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र व 02 अन्य की नकल दाखिल की गयी है।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण पर आरोप है कि अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश द्वारा (मृतक अभियुक्तगण) रमाकान्त व बृजकिशोर एवं अभियुक्त बृजमोहन (बाल अपचारी) के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2010 को

समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देते हुए सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम ओमपाल एवं अन्य ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 2072, छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3604, बलीराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम०पी० 2017 (3) काइम्स 393 एस०सी० एवं ऋषि केश सिंह व अन्य बनाम स्टेट, ए०आई०आर० 1970 इलाहाबाद 51** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–1 श्रीमती पुष्पा (वादिया मुकदमा), पी०डब्लू०–2 खूबचन्द्र (चक्षुदर्शी व चुटैल) व पी०डब्लू०–3 प्रीती (चक्षुदर्शी व चुटैल) को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को पूर्णतया साबित किया है। अन्य साक्षीगण पी०डब्लू०–4 डॉ० आशुतोष मिश्रा द्वारा समस्त चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है तथा पी०डब्लू0–5 कां० मुहर्रिर द्वारा पुलिस प्रपत्रों को पूर्णतया साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें गांवदारी की रंजिशन के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा, पी०डब्लू०–2 वादिया का पति/चुटहिल, पी०डब्लू०–3 वादिया की पुत्री/चुटहिल के बयानों में घोर विरोधाभास है। अतः अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक दशा में अभियोजन को अपने मामले को विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना चाहिये। अभियोजन अभियुक्तगण की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपं को सिद्ध करने के लिये अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अपनी साक्ष्य के द्वारा मामले को युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे साबित करे।

धारा 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई तथ्य तब साबित माना जायेगा जब न्यायालय अपने साक्ष्य के विषयों पर विचार करने के बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयो पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है जब कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आती है और उसका विधिक परीक्षण किया जाता है तो वह एक विधिक प्रमाण का रूप ले लेती है।

लार्ड डेनिग ने वाटर बनाम वाटर (1950) के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि कोई संदेह जो अभियुक्त के द्वारा उठाया गया है वह एक युक्तियुक्त संदेह होना चाहिये और संदेह के मामलो में जो मानक अपनाया जाना चाहिये, वह ऐसा मानक होना चाहिये जो कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपना सकता है, संदेह काल्पनिक नहीं होना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **रमेश हरिजन बनाम उ०प्र० राज्य (2012)5 एस०सी०सी 777 और एच०पी० एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओमप्रकाश, ए०आई०आर० 1972, सुप्रीम कोर्ट 1995 के** मामले में संदेह की बाबत मत व्यक्त किया गया है कि संदेह युक्तियुक्त होना चाहिये।

इस मामले में जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है, उसकी विवेचना किये जाने से पूर्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323, 504 भा०दं०सं० व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई बल्वा करने वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीज से, जिसे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होना

सम्भाव्य हो, सज्ञित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है, जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जो भी व्यक्ति, धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा, जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रूपए तक का जुर्माना, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जाने हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति या कोई अन्य अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा–3(1)10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक जगह पर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ अपमानित करना या धमकाना अपराध है। वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त मामले के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं जिन पर प्रस्तुत अभियोजन एवं बचाव साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाना है :–

1– क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ाकर दर्ज करायी गयी है, विलंब कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ?

2– क्या अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश द्वारा अभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर (मृतक) एवं अभियुक्त बृजमोहन (बाल अपचारी) के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित किया गया?

<u>निस्तारण निर्णायक बिन्दु सं० 1</u>

निर्णायक बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ाकर दर्ज करायी गयी है और विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है?**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह की होना कहा गया है, जबकि मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 28.06.2010 को समय 10:30 ए.एम. पर दर्ज करायी गयी है और विलम्ब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण मामला संदेहास्पद होने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह की है, अभियुक्तगण द्वारा वादिया मुकदमा व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी, सभी चुटहिल परिवार के लोग थाना मुस्करा घटना की सूचना देने गए थे वहाँ पर दरोगा जी ने गाली देकर भगा दिया था और उसके पति व लड़की को थाने पर बैठा लिया था और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। तत्पश्चात दिनांक 24.06.2010 को जिलाधिकारी हमीरपुर को उपरोक्त घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र देने के पश्चात

अपर जिलाधिकारी के आदेश पर दिनांक 28.06.2010 को उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने में जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया है जो विलंब हुआ वह अभियुक्तगण के भयवश एवं पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के उपरांत वादिया द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देने के कारण हुआ है।

उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू०–1 श्रीमती पुष्पा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि घटना के बाद वह अपने चुटहिल परिवारीजनों को लेकर थाने गई थी लेकिन वहां उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई थी। दरोगा जी ने उन लोगों को गालियां देकर भगा दिया था। तब वह उसी दिन हमीरपुर आई थी और वहां एक टाइप वाले से बोलकर टाइप कराई थी। डी०एम० साहब के न मिलने पर छोटे कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दे दी थी। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र दिनांक 24.06.2010 को ही जिलाधिकारी हमीरपुर को सम्बोधित किया गया है। साक्षी ने कागज सं०–5 क तहरीर को सुनकर छोटे कलेक्टर साहब को देने का कथन करते हुए उस पर अपना निशानी अंगूठे की शिनाख्त करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। पत्रावली में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0 अ 0 सं0–489/2010, अन्तर्गत धारा– 452, 323, 504, 506 भा०दं०सं० व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर में दिनांक 28.06.2010 को समय 10:30 ए०एम० पर अंकित की गयी है, जिसकी कायमी जी०डी० सं0–27 दिनांक 28.06.2010 को समय 10:30 ए०एम० अंकित किया जाना दर्शित है। जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी भी लगभग 11 किलामीटर पश्चिम थी। चिक एफ०आई०आर० एवं कायमी जी०डी०–16 को साक्षी पी०डब्लू०–5 कां०मु० कृष्णलाल ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए कमशः प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है।

विधि व्यवस्था **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 2014 (85) ए०सी०सी० 644** में यह अवधारित किया गया है कि: –

9. it is settled law that mere delay in lodging the First Information Report cannot by itself be regarded as fatal to the prosecution case. True it is, the court has a duty to take notice of the delay and examine the same in the backdrop of the factual score, whether there has been any acceptable explanation offered by the prosecution and whether the same deserves acceptation being satisfactory but when delay is satisfactorily explained, no adverse inference is to be drawn. ....."

उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट को देरी से अंकित कराने के आधार पर अभियोजन का मामला

खण्डित नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि ऐसी देरी की मामलें के तथ्यों के प्रकाश में परीक्षा करे तथा देखें कि क्या अभियोजन की ओर से स्वीकार किए जाने योग्य कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। यदि देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है, तब देरी के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नही निकाला जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय **रामदास बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एस०सी०सी० एवं राजस्थान राज्य बनाम एन०के० (2000) 5 एस०सी०सी० 30** में यह सिद्धांत अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना अभियोजन केस को प्रभावित नहीं करता है, विलम्ब के पीछे के तथ्य एवं परिस्थतियों पर विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादिया मुकदमा श्रीमती पुष्पा द्वारा अपनी तहरीर प्रदर्श क–1 में घटना के दिन ही घटना की सूचना देने थाना मुस्करा जाने पर कोई कार्यवाही न होने पर हमीरपुर आकर अपर जिलाधिकारी हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात उनके आदेश पर मुकदमा पंजीकृत होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार वादिया मुकदमा ने बतौर पी०डब्लू0–1 द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयानों में **उपरोक्त घटना के पश्चात उसी दिन चुटहिल परिवारीजनों को लेकर थाना मुस्करा में जाने तथा वहां पर मौजूद दरोगा द्वारा रिपोर्ट न दर्ज करके भगा देने, तत्पश्चात हमीरपुर आकर प्रार्थना पत्र टाइप कराकर जिलाधिकारी हमीरपुर के अवकाश पर होने की स्थिति में अपर जिलाधिकारी हमीरपुर को प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त उनके आदेश पर अभियोग पंजीकृत होना बताया है।** प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने में जो भी विलंब हुआ है वह घटना के दिन ही थाने जाने के उपरान्त दरोगा द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने एवं चुटहिलों का इलाज कराने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के पश्चात उनके आदेश पर अभियोग पंजीकृत किए जाने की प्रक्रिया में हुआ है तथा स्वाभाविक प्रकृति का है। अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब के सबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाता है।

निर्णायक बिन्दु सं0–1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण निर्णायक बिन्दु सं0–2</u>

निर्णायक बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश द्वारा अभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर (मृतक) एवं अभियुक्त बृजमोहन (बाल अपचारी) के साथ मिलकर दिनांक** 24.06.2010 **को समय करीब** 09:00 **बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए**

अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित किया गया?

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश द्वारा अभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर (मृतक) एवं अभियुक्त बृजमोहन (बाल अपचारी) के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित किया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम ओमपाल एवं अन्य ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 2072, छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3604, बलीराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम०पी० 2017 (3) काइम्स 393 एस०सी० एवं ऋषि केश सिंह व अन्य बनाम स्टेट, ए०आई०आर० 1970 इलाहाबाद 51** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है?

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षी पी०डब्लू०–1 श्रीमती पुष्पा (वादिया मुकदमा), पी०डब्लू०–2 खूबचन्द्र (चक्षुदर्शी व चुटैल) व पी०डब्लू०–3 प्रीती (चक्षुदर्शी व चुटैल) को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को पूर्णतया साबित किया है। अन्य साक्षीगण पी०डब्लू०–4 डॉ० आशुतोष मिश्रा द्वारा समस्त चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है तथा पी०डब्लू0–5 कां० मुहर्रिर द्वारा पुलिस प्रपत्रों को पूर्णतया साबित किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें गांवदारी की रंजिशन के कारण झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत तथ्य के साक्षीगण पी०डब्लू०–1 वादिया मुकदमा, पी०डब्लू०–2 वादिया का पति/चुटहिल, पी०डब्लू०–3 वादिया की पुत्री/चुटहिल के बयानों में घोर विरोधाभास है। अतः अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

वादिनी मुकदमा पुष्पारानी द्वारा दिनांक 24.06.2010 को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 प्रस्तुत किया गया कि वह कोरी अनु० जाति की महिला है उसके गाँव के दबंग लोग **जयपाल व शैलेन्द्र पुत्रगण गयाप्रसाद, कल्लू पुत्र लाखन सिंह, देवेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, रमाकान्त पुत्र रन्तदेव, सन्दीप पुत्र हरकचन्द्र, धीरेन्दर पुत्र खलक सिंह, हरीमोहन व बृजमोहन पुत्रगण वीरन श्रीपाल पुत्र हल्के, सतीश पुत्र जग्गा, बृज किशोर प्रधान ग्राम वण्डवा, एकराय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डा, तमन्चा बन्दूक लेकर समय करीब सुबह 9 बजे दिनांक 24.06.2010 ई० को घर के अंदर घुस आए और बुरी बुरी मां बहन की गालिया देते हुए घर में मौजूद उसके पति खूवचन्द्र ,जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीती, प्रतिमाँ व लड़का विपिन, अशोक व उसे बुरी तरीके से मारापीटा। उसके परिवारीजन मारपीट से जब घर से बाहर की ओर भागे तब भी बाहर मारपीट किया।** उक्त शैलेन्द्र उसकी लडकी सावित्री देवी को गंदे गंदे पत्र लिखता था, जिसका विरोध वह व उसके परिवारीजन व उसके पति करते थे। इस बात को लेकर उक्त लोग नाराज रहते थे। इस बात की शिकायत उसने थाने पर भी की थी, जिससे उक्त लोग और नाराज हो गए थे। **उक्त लोगों की मारपीट से उसके लड़के व लड़कियों व पति व जेठ के शरीर पर गंभीर चोट आई हैं जाते समय सभी मुल्जिमान जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए गांव के अन्य लोगों के आ जाने पर गाली गलौज करते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए।** वह सभी चुटहिल परिवार के लोग थाना मुस्करा घटना की सूचना देने गए तो वहाँ पर मौजूद दरोगा जी ने गाली देकर भाग दिया है व उसके पति व लड़की को थाने पर बैठा लिया है और घटना की रिपोर्ट नहीं दर्ज की है।

पी0 डब्लू0–01 पुष्पारानी ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह मुल्जिमान जयपाल, श्रीपाल, हरिमोहन को जानती है, उसके गांव के हैं, जाति के लोधी हैं तथा वादिया मुकदमा कोरी जाति की है। लगभग तीन साल पहले अषाढ़ के महीने में सुबह 09:00 बजे की बात है। वह अपने घर पर थी, घर पर उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, उसकी लड़की सावित्री, प्रीती व प्रतिमा व उसके लड़के विपिन व अशोक भी घर पर थे तभी उपरोक्त मुल्जिमान जयपाल, श्रीपाल, हरिमोहन के साथ शैलेन्द्र जो जयपाल का भाई है, कल्लू व देवेन्द्र पुत्रगण लाखन सिंह, रमाकान्त पुत्र रन्तदेव, संदीप, हरचन्द, वीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश पुत्र

जग्गा और बृजकिशोर प्रधान उसके घर के अन्दर घुस आए जो अपने हाथ में लाठी–डण्डा व तमंचा लिए थे और उन लोगों को लड़की, बिटिया व मां–बहन की गालियां देने लगे, उन लोगों ने गालियां देने से मना किया तो सभी बारह लोगों ने अपने हाथ में लिए हुए लाठी–डण्डा व तमंचे की बटों से घर में मौजूद सभी लोगों की मारपीट करने लगे, जिससे उसकी लड़कियों, लड़कों, पति व जेठ सहित उसे भी चोटे आयी, मुल्जिमान शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गन्दे पत्र लिखकर भेजता था, जिसका विरोध उसने व उसके पति ने किया था इसीलिए वह लोग उन लोगों से नाराज रहते थे। मुल्जिमान ने मारपीट करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी व जातिसूचक शब्द साले कोरी कहकर अपमानित किया था। घटना के बाद वह अपने परिवारीजन को लेकर थाने गयी थी लेकिन वहां उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, दरोगा जी ने गालियां देकर भगा दिया था, तब उसी दिन वह हमीरपुर आयी और प्रार्थना पत्र बोल–बोलकर टाइप कराकर एवं अपना निशानी अंगूठा लगाकर डीएम साहब के न मिलने पर छोटे कलेक्टर साहब को दरख्वास्त दे दी थी। साक्षी ने प्रार्थना पत्र पर अपने निशानी अंगूठा की शिनाख्त करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा में यह बयान दिया गया कि मारपीट उनके मकान के आंगन में और अन्दर हुई थी, मारपीट आंगन (बखरी) में हुई थी। यह कहना गलत है कि उसने, उसके पति व लड़को ने सरोज पुत्र वीरेन्द्र के साथ मारपीट व गाली–गलौज की हो तथा उन पर पालतू बन्दर काटने के लिए छोड़ दिया हो और बचाव में यह झूठा मुकदमा कायम कराया हो। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान हरगिज उसके दरवाजे में न आए हो और न कोई गाली–गलौज और न कोई मारपीट और न ही कोई धमकी दी हो।

इस स्तर पर वादी मुकदमा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर को उपरोक्त अपराध में तलब किए जाने के उपरान्त वादी मुकदमा द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–1 दिनांक 22.11.2021 को न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह मुल्सिमान जयपाल, श्रीपाल, हरिमोहन,शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, रमाकान्त, संदीप, हरचन्द्र, धीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश और बृजकिशोर को जानती व पहचानती है, सभी उसके गांव के हैं और अभियुक्त रमाकान्त व बृजकिशोर मर चुके हैं। सभी राजपूत(लोधी) बिरादरी के हैं। **घटना लगभग 11 साल पहले की है। अषाढ़ की बात है और नौ बजा था। वह अपने घर पर थी घर पर उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन उसकी लड़की विपिन व अशोक घर पर थे तभी उपरोक्त मुल्जिमान उसके घर के अंदर घुस गए जो अपने हाथ में लाठी डण्डा व तमंचा लिए थे। संदीप तमंचा लिए था आकर उन लोगों को लड़की बिटिया व माँ बहन की बुरी बुरी भोसड़ी वाले मादरचोद की गालियाँ देने लगे।** गाली देने से मना किया तो **उपरोक्त सभी 12 लोग अपने हाथ में लिए लाठी डण्डा व तमंचा की वटों से घर में मौजूद सभी लोगों को मारपीट करने लगे, जिससे उसके**

लड़कियों व लड़कों पति व जेठ सहित उसे भी चोट आयी थी मुल्जिम शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गन्दे पत्र लिखकर भेजता था, जिसका विरोध उसने व उसके पति ने किया था। इसलिए उपरोक्त लोग उन सभी लोगों से नाराज रहते थे। **मुल्जिमान मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी दे रहे थे व उसे जातिसूचक शब्दों से साले कुरिया कहकर आपमानित किया था।** घटना के बाद वह अपने चुटहिल परिवार को लेकर थाने गयी थी, लेकिन वहाँ उन लोगों की सुनवाई नहीं हुई थी। दरोगा जी ने उन लोगों को गालियाँ देकर भगा दिया था तब वह उसी दिन हमीरपुर आयी थी और वहाँ एक टाइप वाले से बोल बोल कर प्रार्थना पत्र टाइप कराया था और उसने उसे पढ़कर सुनाया था उसने निशानी अंगूठा लगाया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रति परीक्षा न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया गया कि उसका मकान आगे का पक्का व पीछे का कच्चा बना है, कच्चे वाले मकान में खपरैल छाया था **मुल्जिमानों में धीरेन्द्र, हरिमोहन, बृजमोहन, सर्वेश, शैलेन्द्र, देवेन्द्र डण्डा लिए थे तथा संदीप ने उसे तमंचे के बट से मारा था तथा प्रीती को तमंचे से मारा था तथा धीरेन्द्र व हरिमोहन ने उसके पति को डण्डा से मारा था। शैलेन्द्र ने विपिन को लाठी–डण्डे से मारा था। सतीश ने अशोक को लाठी–डण्डे से मारा था। कल्लू, देवेन्द्र ने उसके पति को लाठी–डण्डे से मारा था, जिन मुल्जिमानों ने उसे मारा था** उनमें किसी मुल्जिम के चोट नहीं थी।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–1 जोकि उपरोक्त मामले की वादिया मुकदमा है, ने दिनांक 23.04.2013 को दिए गए मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि जयपाल व शैलेन्द्र पुत्रगण गयाप्रसाद, कल्लू पुत्र लाखन सिंह, देवेन्द्र पुत्र लाखन सिंह, रमाकान्त पुत्र रन्तदेव, सन्दीप पुत्र हरकचन्द्र, धीरेन्दर पुत्र खलक सिंह, हरीमोहन व बृजमोहन पुत्रगण वीरन श्रीपाल पुत्र हल्के, सतीश पुत्र जग्गा, बृज किशोर प्रधान ग्राम वण्डवा, एकराय होकर अपने हाथों में लाठी डण्डा, तमन्चा लेकर समय करीब सुबह 9 बजे दिनांक 24.06.2010 ई० को घर के अंदर घुस आए और बुरी बुरी मां बहन की गालिया देते हुए घर में मौजूद उसके पति खूवचन्द्र ,जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीती, प्रतिमाँ व लड़का विपिन, अशोक व उसे बुरी तरीके से मारापीटा। इसी प्रकार दिनांक 22.11.2021 को भी न्यायालय के समक्ष दिए गए मुख्य परीक्षा में घटना लगभग 11 साल पहले की है। अषाढ़ की बात है और नौ बजा था। वह अपने घर पर थी घर पर उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन उसकी लड़की विपिन व अशोक घर पर थे तभी उपरोक्त मुल्जिमान उसके घर के अंदर घुस गए जो अपने हाथ में लाठी डण्डा व तमंचा लिए थे। संदीप तमंचा लिए था आकर उन लोगों को लड़की बिटिया व माँ बहन की बुरी बुरी भोसड़ी वाले मादरचोद की गालियाँ देने लगे। गाली देने से मना किया तो उपरोक्त सभी 12 लोग अपने हाथ में लिए लाठी डण्डा व तमंचा की बटों से घर में मौजूद सभी लोगों को मारपीट करने लगे, जिससे उसके लड़कियों व लड़कों, पति व जेठ सहित उसे भी चोट आयी थी। मुल्जिमान मारपीट करने के बाद

जान से मारने की धमकी दे रहे थे व उसे जातिसूचक शब्दों से साले कुरिया कहकर आपमानित किए जाने का कथन किया है। इसके साथ ही उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह बयान दिया गया कि मुल्जिमानों में धीरेन्द्र, हरिमोहन, बृजमोहन, सर्वेश, शैलेन्द्र, देवेन्द्र डण्डा लिए थे तथा संदीप ने उसे तमंचे के बट से मारा था तथा प्रीती को तमंचे से मारा था तथा धीरेन्द्र व हरिमोहन ने उसके पति को डण्डा से मारा था। शैलेन्द्र ने विपिन को लाठी–डण्डे से मारा था। सतीश ने अशोक को लाठी–डण्डे से मारा था। कल्लू, देवेन्द्र ने उसके पति को लाठी–डण्डे से मारा था। उक्त साक्षी के द्वारा अभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर प्रधान के द्वारा घटना कारित करने का कोई बयान नहीं दिया है। जबकि अभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर प्रधान की दौरान मुकदमा मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध मुकदमा दौरान विचारण उपशमित किया जा चुका है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादिया मुकदमा द्वारा अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण जयपाल, धीरेन्द्र, हरीमोहन, बृजमोहन, सर्वेश, शैलेन्द्र, देवेन्द्र, सतीश व कल्लू के द्वारा कथित घटना कारित किए जाने के तथ्य को संदेह से परे ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध किया है तथा प्रतिपरीक्षा के दौरान भी ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि जो कथित अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता हो। पी०डब्लू०–1 के उपरोक्त दोनों बयान अभियोजन कथानक की अभियुक्तगण रमाकान्त, बृजकिशोर प्रधान के अलावा पुष्टि करते हैं।

पी०डब्लू०–02 खूबचन्द्र (चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी) ने न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.07.2013 को अपनी सशपथ मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह मुल्जिमान जयपाल, श्रीपाल, हरिमोहन को जानता है जो लोधी जाति के हैं। वादिया मुकदमा उसकी पत्नी है। **लगभग तीन साल पहले सुबह 09:00 बजे की बात है वह अपने घर पर था और उसके परिवार के सभी लोग घर पर थे। तभी शैलेन्द्र, सतीश, संदीप, धीरेन्द्र, देवेन्द्र, कल्लू, रमाकान्त, हरिमोहन, बृजमोहन, श्रीपाल, जयपाल,बृजकिशोर आए जो अपने हाथों में लाठी–डण्डा लिए थे, जिसमें संदीप तमंचा लिए था, सभी लोग आकर मां–बहन की बुरी–बुरी गालियां देने लगे तथा उसे, उसकी पत्नी, उसके भाई गयादीन, प्रीती, सावित्री, प्रतिमा, अशोक व विपिन को मारपीट करने लगे तथा जातिसूचक शब्द साले कुरिया जान से मार डालेंगे कहते हुए चले गए।** मुल्जिम शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गन्दे पत्र लिखता था, जिससे वह लोग रंजिश मानते थे, जिसकी शिकायत उनके घर वालों से की थी। इस मारपीट में उसे, उसकी पत्नी, उसकी लड़की, लड़कों व गयादीन को चोटें आयी थी। **घटना के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र थाने में दिया था, वहां सुनवाई नहीं हुई तब उसकी पत्नी ने हमीरपुर आकर उच्चाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर चोटें लिखी गयी थी। मारपीट में आयी चोटों की डाक्टरी मुस्करा अस्पताल में करायी गयी थी।**

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि **घटना 09:00 बजे सुबह की है।** मुल्जिमान उत्तर दिशा से आए थे और उसी दिशा से चले गए थे। घटना के बाद वह व

बच्चे व पत्नी थाने गए थे। वह जयपाल के भाई शैलेन्द्र को जानता है, शैलेन्द्र उसकी पुत्री को एक पत्र लिखा था, वह पत्र पहले भी उसकी पुत्री को मिला था। फिर उसने वह पत्र उसे भी दिया था। **यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने उन लोगों की मारपीट न की हो तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित न किया हो।**

इस स्तर पर वादी मुकदमा द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र, बृजमोहन, सतीश व बृजकिशोर को उपरोक्त अपराध में तलब किए जाने के उपरान्त चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी खूबचन्द्र के वादी मुकदमा द्वारा बतौर साक्षी पी०डब्लू०–2 दिनांक 29.08.2024 को न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह अभियुक्त जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, संदीप, शैलेन्द्र, सतीश, बृजमोहन, उमाशंकर,देवेन्द्र, कल्लू, बृजकिशोर व धीरेन्द्र को जानता पहचानता है जो उसके गांव के हैं, जिसमें अभियुक्त **बृजकिशोर व उमाशंकर** की मृत्यु हो चुकी है, सभी अभियुक्तगण लोधी बिरादरी के हैं। अनुसूचित जाति के नहीं है। वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत कोरी बिरादरी का है। **घटना लगभग चौदह वर्ष पूर्व समय करीब सुबह 9 बजे की है। वह अपने घर पर था और उसके परिवार के सभी लोग घर पर थे। तभी अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, संदीप,शैलेन्द्र, सतीश, बृजमोहन, उमाशंकर, देवेन्द्र, कल्लू, बृजकिशोर व धीरेन्द्र आए, जिसमें अभियुक्त संदीप तमंचा लिए था और सभी लोग आकर माँ बहन की बुरी बुरी गाली देते हुए कहने लगे भोसड़ी वाले कुरिया उसके ज्यादा दिमाग खराब है और उसकी पत्नी पुष्पा, उसके भाई गयादीन, उसकी पुत्री प्रीती, सावित्री और प्रतिमा व उसके लड़के अशोक व विपिन से मारपीट करने लगे और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि साले कुरिया जान से मार डालेगें और यह कहते हुए वहाँ से चले गए।** अभियुक्त शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गंदे पत्र लिखता था जिसकी उसने शिकायत अभियुक्त शैलेन्द्र के घरवालों से की थी इसी बात की रंजिश अभियुक्तगण मुझसे मानते थे। **अभियुक्तगण की मारपीट से मुझे उसकी पत्नी पुष्पा, उसकी लड़की प्रीति व सावित्री, प्रतिमा और लड़के विपिन अशोक को चोटें आयी थी।** घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र थाना मुस्करा में दिया था लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तब उसकी पत्नी पुष्पा हमीरपुर आकर उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया था तब रिपोर्ट लिखी गई थी। पुलिस ने सभी चुटहिलों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल मुस्करा में कराया था। घटना के संबंध में सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि **यह झगड़ा उसकी लड़की सावित्री को अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा गन्दे पत्र लिखने के कारण हुआ था, उसने पत्र की शिकायत अभियुक्त के घर वालों से की थी।** उसने विवेचक को अपने धारा–161 दं०प्र०सं० में पुत्री को गन्दा पत्र लिखने के सम्बन्ध में बताया था। यह कहना गलत है कि घटना के समय वह एक

बन्दर पाले था जो छूटकर अभियुक्त धीरेन्द्र व अन्य मुल्जिमानों को काट लिया था, जिसका उलाहना देने उसके घर गया था और क्रोधित होकर अभियुक्तगण से झगड़ा किया था। अभियुक्त ने अपना बचाव किया हो, जिससे उसे चोटें आयी हों।

इस प्रकार साक्षी पी०डब्लू०–2 जोकि वादी मुकदमा का पति तथा उपरोक्त घटना का चुटहिल व चक्षुदर्शी है, के द्वारा दिनांक 09.07.2013 को न्यायालय के समक्ष दी गयी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया कि लगभग तीन साल पहले सुबह 09:00 बजे वह अपने घर पर था और उसके परिवार के सभी लोग घर पर थे। तभी शैलेन्द्र, सतीश, संदीप, धीरेन्द्र, देवेन्द्र, कल्लू, रमाकान्त, हरिमोहन, बृजमोहन, श्रीपाल, जयपाल,बृजकिशोर आए जो अपने हाथों में लाठी–डण्डा लिए थे, जिसमें संदीप तमंचा लिए था, सभी लोग आकर मां–बहन की बुरी–बुरी गालियां देने लगे तथा उसे, उसकी पत्नी, उसके भाई गयादीन, प्रीती, सावित्री, प्रतिमा, अशोक व विपिन को मारपीट करके जातिसूचक शब्द साले कुरिया कहकर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी। इस मारपीट में उसे, उसकी पत्नी, उसकी लड़की, लड़कों व गयादीन को चोटें आयी थी। इसी प्रकार दिनांक 29.08.2024 को न्यायालय के समक्ष पुनः मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया कि घटना लगभग चौदह वर्ष पूर्व समय करीब सुबह 9 बजे की है। वह अपने घर पर था और उसके परिवार के सभी लोग घर पर थे। तभी अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, संदीप,शैलेन्द्र, सतीश, बृजमोहन, उमाशंकर, देवेन्द्र, कल्लू, बृजकिशोर व धीरेन्द्र आए, जिसमें अभियुक्त संदीप तमंचा लिए था और सभी लोग आकर माँ बहन की बुरी बुरी गाली देते हुए कहने लगे भोसड़ी वाले कुरिया उसके ज्यादा दिमाग खराब है और उसे उसकी पत्नी पुष्पा, उसके भाई गयादीन, उसकी पुत्री प्रीती, सावित्री और प्रतिमा व उसके लड़के अशोक व विपिन से मारपीट करने लगे और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए कहा कि साले कुरिया जान से मार डालेगें और यह कहते हुए वहाँ से चले गए। अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षी द्वारा यह बयान दिया गया कि घटना 09:00 बजे सुबह की है। मुल्जिमान उत्तर दिशा से आए थे और उसी दिशा से चले गए थे। घटना के बाद वह व बच्चे व पत्नी थाने गए थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों ने उन लोगों की मारपीट न की हो तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित न किया हो। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा दिए गए ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पी०डब्लू०–1 के कथनों का समर्थन होने के साथ अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया है। उक्त साक्षी के बयानों में ऐसा कोई भी विपरीत कथन नहीं आया है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता हो। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान सत्य एवं विश्वसनीय हैं जो अभियोजन कथानक की पुष्टि करते हैं।

पी०डब्लू०–03 प्रीति ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह हाजिर अदालत अभियुक्त धीरेन्द्र को जानती पहचानती है तथा अभियुक्तगण श्रीपाल, जयपाल, शैलेन्द्र, सतीश, हरिमोहन, देवेंद्र, कल्लू, धीरेन्द्र, बृजकिशोर, रमाकांत, संदीप को भी

जानती पहचानती है, सभी अभियुक्त उसके ही गांव के रहने वाले हैं, **जिसमें अभियुक्त रमाकांत, बृजकिशोर की मृत्यु हो चुकी हैं। घटना दिनांक 24.06.2010 समय करीब नौ बजे सुबह की है, वह अपने घर पर थी तभी उपरोक्त सभी अभियुक्तगण उसके घर में घुसकर लाठी–डंडों से उसकी मां पुष्पारानी व भाई अशोक, विपिन और बहन सावित्री को मारा और उसे संदीप ने तमंचे की बट से सिर में मारा जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा व बहन प्रतिमा व खूबचंद व बडे पापा गयादीन के साथ मारपीट व गालीगलौज किया और भद्दी–भद्दी मां बहन की गाली देते हुये कहा कि साले कुरिया जान से मार देंगे उनके ज्यादा दिमाग खराब हैं। मारपीट में उसे व उसके घर वालों को चोट आयी थीं, उसकी मां पुष्पारानी के सिर में गंभीर चोटें आयी थीं और प्रतिमा व उसे भी गंभीर चोटें आयी थीं।** इस घटना की रिपोर्ट उसकी मां ने थाना मुस्करा में किया था। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी तब उसकी मां ने हमीरपुर में आकर डीएम साहब को प्रार्थनापत्र दिया था तब रिपोर्ट लिखी गयी थी और पुलिस ने उसका व उसके सभी घरवालों का सरकारी अस्पताल मुस्करा में चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया था। इस घटना के संबंध में सीओ साहब ने उन लोगों का बयान लिया था। **अभियुक्त शैलेंद्र उसकी बहन सावित्री को गंदे–गंदे पत्र लिखता था, इसका उलाहना उसके माता–पिता ने उनके परिवार वालों को दिया था। इसी बात की रंजिश मानकर अभियुक्तगण ने उन लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट व गाली–गलौज व मारपीट की थी।**

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा में यह बयान दिया गया कि अभियुक्त शैलेन्द्र उसकी बहन सावित्री को पत्र लिखता था। यह घटना घर के अन्दर की है। आंगन में उसका पूरा परिवार बैठा था। अभियुक्तगण उसके घर के अन्दर घुसकर मारपीट की थी। अभियुक्तगण ने मारपीट से पहले गाली–गलौज करते हुए कहा था कि साले कुरिया जान से मार देंगे। उसने अपनी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया था। उसे सिर में दो जगह चोटें आयी थी।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–3 जोकि वादिया मुकदमा की पुत्री व उपरोक्त घटना की चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से बयान देते कहा गया कि **घटना दिनांक 24.06.2010 समय करीब नौ बजे सुबह की है, वह अपने घर पर थी तभी उपरोक्त सभी अभियुक्तगण उसके घर में घुसकर लाठी–डंडों से उसकी मां पुष्पारानी व भाई अशोक, विपिन और बहन सावित्री को मारा और उसे संदीप ने तमंचे की बट से सिर में मारा जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा व बहन प्रतिमा व खूबचंद व बडे पापा गयादीन के साथ मारपीट व गालीगलौज किया और भद्दी–भद्दी मां बहन की गाली देते हुये कहा कि साले कुरिया जान से मार देंगे उनके ज्यादा दिमाग खराब हैं। मारपीट में उसे व उसके घर वालों को चोट आयी थीं, उसकी मां पुष्पारानी के सिर में गंभीर चोटें आयी थीं और प्रतिमा व उसे भी गंभीर चोटें आयी थीं।** उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि **अभियुक्त शैलेंद्र उसकी बहन सावित्री को गंदे–गंदे पत्र लिखता था, इसका उलाहना उसके**

माता–पिता ने उनके परिवार वालों को दिया था। इसी बात की रंजिश मानकर अभियुक्तगण ने उन लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट व गाली–गलौज व मारपीट की थी। इस प्रकार उक्त साक्षी जोकि स्वयं चुटहिल भी है, ने अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है तथा शैलेन्द्र द्वारा उसकी बहन सावित्री को गन्दे पत्र लिखने की उलाहना उसके माता–पिता द्वारा दिए जाने पर रंजिशन उनके घर में घुसकर मारपीट करते हुए गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के तथ्य की भी पुष्टि की है। इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान अभियोजन कथानक को सन्देह से परे सिद्ध करते है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

पी०डब्लू०–04 डॉ धर्मेन्द्र सिंह राजपूत ने अपने मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 24.06.2010 को चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन समय साढे दस पी.एम पर प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण पुष्पा पत्नी खूवचन्द्र उम्र–42 वर्ष महिला निवासी बण्डवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर स्वंय उपस्थित हुई थी। दौरान परीक्षण निम्न चोटें आयी थी–

चोट नं०–1 एक खरोच दाहिने कंधे पर 1cmX1cm.

चोट नं०–2 बांयी आंख की भौह पर सूजन थी जो 2cmX2cm के आकार पर बायीं आंख पर थी।

चोट की समयावधि तीन से ज्यादा की थी। उसकी राय में सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी। जो कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो रही है। उसने चुटहिल का निशानी अंगूठा लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं०–10 क 1 जरिये वी.सी देखकर इन्जरी रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया।

उसी दिन समय 10:40PM पर प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण प्रीती पुत्री खूबचन्द्र उम 12 वर्ष महिला उपरोक्त का पहचना चिन्ह अंकित करते हुए मेडिकल परीक्षण किया था जो वह स्वयं आयी थी। दौरान परीक्षण निम्न चोटें पायी गयी–

चोट नं०–1 एक खरोच का निशान दाहिने हाथ पर कंधे से 6cm नीचे लगभग 4X3cm आकार का था।

चोट नं०–2 एक फटा हुआ घाव दाहिने कान के ऊपर लगभग 1cmX0.5cm सिर पर थी।

चोट की अवधि लगभग 3 घंटे से अधिक पहले की थी। **उसकी राय में सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो किसी कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी।** चुटहिल का निशानी अंगूठा इन्जरी रिपोर्ट में लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं० 10 क/2 इन्जरी रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया।

उसी दिन समय 10:50PM पर प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण खूबचन्द्र पुत्र सरजू प्रसाद उम्र 45 वर्ष पुरुष निवासी उपरोक्त जो स्वंय आया था का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसके शरीर में निम्नलिखित चोटें पायी गयी थी–

चोट नं०–1 दाहिने कंधे पर एक खरोध का निशान जिसका आकार 0.5cmX0.5cm था

चोट नं०–2 दाहिने अंगूठे पर सूजन थी जिसका आकार 2cmX2cm था

चोट की अवधि तीन घंटे से अधिक पुरानी थी। उसकी राय में सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो किसी कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो जी है। चुटहिल का निशानी अगूंठा उसके द्वारा इन्जरी रिपोर्ट में लगवाया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं० 10 क/3 इन्जरी रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया।

उसी दिन समय 10:55PM पर विपिन पुत्र खूबचन्द्र उम्र दस वर्ष पुरुष निवासी उपरोक्त का पहचान चिन्ह अंकित करते हुए जो स्वंय आया था। चोटो का परीक्षण किया गया जो निम्न चोर्ट थी–

चोट नं०–1 दाहिने कंधे से 5cmX2cm स्माल रेडनेस थी।

निशानी अंगूठा चुटहिल का इन्जरी रिपोर्ट में लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित है। पत्रावली में शामिल कागज सं०–10 क 4 जरिये वीसी देखकर साक्षी ने इन्जरी रिपोर्ट पर अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया।

उसी दिन 11PM पर अशोक पुत्र खूबचन्द्र उम्र 18 वर्ष निवासी उपरोक्त का प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण पहचान चिन्ह अंकित करते हुए किया था जो स्वंय आया था। दौरान परीक्षण उसके शरीर पर निम्न चोट थी–

चोट नं०–1 बायें अगूठे में 3cmX2cm की सूजन थी। चोट की समय अवधि तीन घंटे से अधिक की थी। चोट साधारण प्रकृति की थी। चुटहिल का निशानी अंगूठा लगवाया था जो उसके द्वारा प्रमाणित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं० 10 क/5 इन्जरी रिपोर्ट साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया।

उसी दिन 11:10PM पर प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण सावित्री पुत्री खूबचन्द्र उम्र–18 वर्ष महिला निवासी उपरोक्त का पहचान चिन्ह अंकित करते हुए जो स्वंय आयी थी। दौरान परीक्षण निम्न चोटें पायी गयी– चोट नं०–1 पीठ पर T–5 से T–8 तक के स्तर तक नीले निशान थे। लगभग 7cmX2cm के थे। चोट की अवधि तीन घंटे से अधिक समय की थी। **चोट की प्रकृति साधारण थी जो किसी कठोर वस्तु से आना प्रतीत हो रही थी**। मजरूबा का निशानी अंगूठा इन्जरी रिपोर्ट में लगवाया था जो मेरे द्वारा प्रमाणित किया गया था। पत्रावली में शामिल कागज सं० 10 क/6 इन्जरी रिपोर्ट को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान करते हुए प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया।

उसी दिन 11:15PM पर प्राइवेट मेडिकोलीगल परीक्षण प्रतिमा पुत्री खूबचन्द्र उम्र 8 वर्ष महिला निवासी उपरोक्त का पहचान चिन्ह अंकित करते हुए मेडिकल परीक्षण किया था जो स्वंय आयी थी। उसके शरीर में कोई जाहिरा चोट नही थी। इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नही दी गयी। निशानी अंगूठा चुटहिल का इन्जरी रिपोर्ट में लगवाया था। कागज सं०–10 क/8 इन्जरी रिपोर्ट देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया।

पत्रावली में दाखिल कागज सं०–10 क/1 इंजरी रिपोर्ट पुष्पा पत्नी खूबचन्द प्रदर्श क–2 के अनुसार चुटहिल पुष्पा के शरीर पर कुल 02 चोटे क्रमशः 1– **A Abrasion injury over Rt. shoulder size about 1cm x 1cm 2– Swelling in below Lt. lower eye lid, size about 2cm x 2cm** तथा Opinion में All injury are simple in nature, Injury caused by stick अंकित है, इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/2 चुटहिल प्रीती प्रदर्श क–3 के अनुसार उसके शरीर पर कुल 02 चोटे क्रमशः **1– A Abrasion injury over Rt. arm 6cm below the acromion process. size about 4 cm x 3 cm. 2– a lacerated injury over scalp size about 1 cm x 0.5 cm above the Rt. ear.** तथा Opinion में All injury are simple in nature, Injury caused by stick अंकित है, इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/3 चुटहिल खूबचन्द्र प्रदर्श क–4 के अनुसार उसके शरीर पर कुल 02 चोटे क्रमशः **1– A abrasion Injury over Rt. shoulder size about 0.5cm x 0.5 cm, 2– Swelling over Rt. thumb size about 2 cm x 2 cm.** तथा Opinion में All injury are simple in nature, Injury caused by stick, 03 hours & no majar injury observed. Redness caused by friction.अंकित है, इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/4 चुटहिल विपिन प्रदर्श क–5 के अनुसार उसके शरीर पर चोट **1– Small redness present over Rt. Shoulder size about 5 cm x 2 cm.** इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/5 चुटहिल अशोक प्रदर्श क–6 के अनुसार उसके शरीर पर चोट **1– A diffuse swelling over Lt. thumb size about 3 cm x 2cm & no other injury noticed.** तथा Opinion में swelling are simple in nature. Caused by heavy object अंकित है, इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/6 चुटहिल सावित्री प्रदर्श क–7 के अनुसार उसके शरीर पर चोट **1– Two contusion mark over back, Lt side at the level of T5 to T8, size about 7 cm x 2 cm** तथा Opinion में All injury are simple in nature, Injury caused by stick अंकित है, इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–10 क/7 चुटहिल प्रीतिमा प्रदर्श क–8 के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट न होने का उल्लेख है।

उक्त साक्षी पी०डब्लू०–4 जोकि उपरोक्त मामले के चुटहिलों की चोटों का डाक्टरी मुआयना करने का साक्षी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 24.06.2010 को पीएचसी

मुस्करा जिला हमीरपुर में चुटहिल पुष्पा, प्रीती, खूबचन्द्र, विपिन, अशोक, सावित्री का प्राईवेट मेडिकल परीक्षण घटना वाले दिन किए जाने का कथन करते हुए उपरोक्त चुटहिलों की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को क्रमशः प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी द्वारा चुटहिलों को उक्त चोटें किसी डण्डे या कठोर वस्तु से आने का स्पष्ट कथन किया है, उक्त साक्षी के बयान मेडिकल रिपोर्ट के अनुरूप हैं, उपरोक्त समस्त चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट में भी कथित चोटे डण्डे या कठोर वस्तु से आने का उल्लेख किया गया है। जैसाकि अभियोजन व चुटहिल साक्षीगण पी०डब्लू०–1 पुष्पा, पी०डब्लू०–2 खूबचन्द्र व पी०डब्लू०–3 प्रीती के द्वारा भी अपने बयानों में कथन किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी चिकित्सक के बयानों व चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट से भी उपरोक्त घटना की पुष्टि होती है।

पी०डब्लू०–05 सेवानिवृत्त का०मु० कृष्णलाल ने न्यायालय के समक्ष अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 28.06.2010 को थाना मुस्करा में कां० मुहर्रि के पद पर तैनात था उस दिन उसने श्रीमती पुष्पारानी पत्नी खूबचंद जाति कोरी निवासी ग्राम बंडया थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के टाइपशुदा प्रार्थनापत्र में श्रीमान अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व हमीरपुर द्वारा आदेशित एवं मौखिक थाना प्रभारी द्वारा आदेशित किये जाने के पश्चात उसने मु०अ०सं०–489/2010 अंतर्गत धारा–147, 148, 149, 323, 504, 506 आईपीसी व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट थाना मुस्करा विरुद्ध जयपाल व शैलेंद्र पुत्रगण गयाप्रसाद कल्लू व देवेंद्र पुत्रगण लाखन सिंह, रमाकांत पुत्र रंतदेव, संदीप पुत्र हरचंद, धीरेन्द्र पुत्र खलक सिंह, हरिमोहन व बृजमोहन पुत्रगण वीरन और श्रीपाल पुत्र हल्के, सतीश पुत्र जग्गा व बृजकिशौर प्रधान निवासीगण बंडवा थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था जिसका खुलासा दिनांक 28.06.2010 जीडी नंबर–16 समय 10.30 एएम पर किया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 4 क/1 व 4 क/2 चिक एफआईआर अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 7 क/1 जीडी की कार्बन प्रति को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पहचान करते हुए जिस पर प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उसके थाना मुस्करा में तैनाती के दौरान क्षेत्राधिकारी के पद पर श्री परमलाल वर्मा राठ में तैनात थे और उपरोक्त मुकदमे के विवेचक को लिखते व हस्ताक्षर करते देखा है, वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है, उनकी मृत्यु हो गयी है। पत्रावली में शामिल कागज सं०–3 क आरोपपत्र व 9–क नक्शानजरी को उनके हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते क्रमशः प्रदर्श क 11 व क–12 के रूप में साबित किया।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि घटना दिनांक 24.06.2010 की है। पुष्पा देवी के द्वारा टाइपशुदा प्रार्थना पत्र के आधार पर उसने अंकित किया था। प्रार्थना पत्र में एडीएम महोदय का आदेश अंकित था जो दिनांक 24.06.2010 का था।

परमलाल वर्मा क्षेत्राधिकारी राठ के द्वारा जयपाल, श्रीपाल, हरिमोहन के खिलाफ दाखिल किया गया है। यह कहना गलत है कि उसने अधिकारियों के दबाव में आकर झूठी एफआईआर दर्ज की है।

पत्रावली में दाखिल कागज सं०–9 क नक्शा नजरी प्रदर्श क–12 के अवलोकन से विदित है कि नक्शा–नजरी के संकेत A से वह स्थान दर्शित है, जहां पर अभियुक्तगण द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व उसके परिवारवालों के साथ गाली–गलौज करना व मारपीट करना दर्शाया है। B संकेत से वह स्थान दर्शित है, जहां पर मजरूबान के साथ बाहर आने पर मारपीट करना दर्शाया गया है। → चिन्ह से अभियुक्तगण के आने का मार्ग दर्शाया गया है। →› चिन्ह से अभियुक्तगण के बाद घटना वापस जाने का मार्ग दर्शाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त नक्शा-नजरी में **A** स्थान जोकि घर के कमरे के अन्दर है, पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके परिवार वालों के साथ मारपीट करना तथा इसके पश्चात **B** स्थान पर बाहर आने पर अभियुक्तगण द्वारा पुनः मारपीट करना बताया गया है। उपरोक्त नक्शा नजरी चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षीगण पी०डब्लू०–1 पुष्पा, पी०डब्लू०–2 खूबचन्द्र व पी०डब्लू०–3 प्रीती के द्वारा दिए गए बयानों के अनुरूप है। इस प्रकार उपरोक्त नक्शा–नजरी भी अभियोजन कथानक की पुष्टि करती है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी०डब्लू०–5 जोकि उपरोक्त मामले का एफआईआर व कायमी लेखक व औपचारिक पुलिस साक्षी है, जिसके द्वारा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० को क्रमशः प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क 10 के रूप में साबित किया है। उपरोक्त साक्षी उपरोक्त मामले में मात्र पुलिस प्रपत्रों को साबित कराए जाने का साक्षी है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह भी बताया है कि उसकी तैनाती के दौरान क्षेत्राधिकारी परमलाल वर्मा राठ में तैनात थे और उनके द्वारा उपरोक्त मुकदमे की विवेचना की गयी है। वह उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है। उक्त साक्षी द्वारा क्षेत्राधिकारी परमलाल वर्मा की मृत्यु होने के कारण द्वितीयक साक्षी के रूप में कागज सं०–3 क आरोप पत्र व कागज सं०–9 क नक्शानजरी को परमलाल वर्मा के हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए क्रमशः प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त साक्षी कथित घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है बल्कि उसके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वयं व द्वितीयक साक्षी के रूप में साबित किया है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के पास घटना कारित करने के लिए कोई हेतुक (Motive) विद्यमान नहीं था। हेतुक को साबित कर पाने में अभियोजन पूर्णतया विफल रहा है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन द्वारा हेतुक (Motive) के संबंध में कहा गया कि अभियुक्त शैलेन्द्र वादी मुकदमा की पुत्री सावित्री को गन्दे–गन्दे पत्र लिखता था, जिसका वादिनी मुकदमा व उसके पति ने विरोध किया था और उसके घर में उलाहना देने गए थे जिससे सभी मुल्जिमान नाराज रहते थे व

रंजिश मानते थे। उपरोक्त बात से नाराज होकर ही अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन किया गया। साक्षी पी0 डब्लू0–1 पुष्पारानी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **मुल्जिम शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गन्दे पत्र लिखकर भेजता था, जिसका विरोध उसने व उसके पति ने किया था, इसीलिए उपरोक्त लोग उन सभी लोगों से नाराज रहते थे।** अपनी प्रतिपरीक्षा में भी पी०डब्लू०–1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि मुल्जिम शैलेन्द्र ने उसकी पुत्री सावित्री को दो गन्दे पत्र घटना के पहले लिखकर भेजे थे, उसने उन पत्रों को अपने लड़को से पढ़वाया था और शैलेन्द्र के घर उलाहना दिया था, यह उलाहना घटना के आठ दिन पहले दिया था। इसी प्रकार अन्य अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०–2 खूबचन्द्र द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया कि **मुल्जिम शैलेन्द्र उसकी लड़की सावित्री को गन्दे पत्र लिखता था, उससे वह लोग रंजिश मानते थे, इसकी शिकायत उनके घर वालों से की थी।** उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि **यह झगड़ा उसकी लड़की सावित्री को अभियुक्त शैलेन्द्र के द्वारा गन्दे पत्र लिखने के कारण हुआ था, उसने पत्र की शिकायत अभियुक्त के दरवाजे से की थी, उसने विवेचक को भी बयान धारा–161 दं०प्र०सं० में पुत्री को गन्दे पत्र लिखने के सम्बन्ध में बताया था। उसकी पत्नी ने कलेक्ट्रेट में जो प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें भी अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा गन्दे पत्र लिखने वाली बात बतायी थी।** साक्षी पी०डब्लू०–3 द्वारा भी उपरोक्त साक्षीगण के कथनों का समर्थन करते हुए अपने मुख्य परीक्षा में कहा कि **अभियुक्त शैलेन्द्र उसकी बहन सावित्री को गन्दे–गन्दे पत्र लिखता था, इसका उलाहना उसके माता–पिता ने उनके परिवार वालों को दिया था, इसी बात की रंजिश मानकर अभियुक्तगण ने उन लोगों के साथ घर में घुसकर मारपीट, गाली–गलौज की थी।** इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त साक्षी पी0 डब्लू0–1, पी0 डब्लू0–2 व पी०डब्लू०–3 द्वारा अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री सावित्री को गन्दे पत्र लिखने के कारण उलाहना देने जाने पर नाराजगी व रंजिश होने का बयान दिया गया है। उसी रंजिश के कारण अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा वादिनी मुकदमा, वादिनी मुकदमा का पति, जेठ गयादीन, पुत्री सावित्री, प्रीती, प्रीतिमा, लड़को विपिन व अशोक के साथ मारपीट किये जाने का हेतुक उभर कर स्पष्ट रूप से सामने आता है। यद्यपि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय की निम्न निर्णयज विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है: –

निर्णयज विधि धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 759, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हमेशा आवश्यक नहीं होता कि अभियोजन अपराध कारित करने के पीछे एक निश्चित हेतुक स्थापित करें। यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि अन्यथा सुसंगत एवं

विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तो हेतुक के अभाव के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अपराध का हेतुक का मुख्य कारण वादिनी मुकदमा की पुत्री सावित्री को अभियुक्त शैलेन्द्र द्वारा गन्दे पत्र दिये जाने व उलाहना देने पर रंजिश के कारण अभियुक्तगण के द्वारा उपरोक्त घटना कारित करना बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा हेतुक पूर्णतया साबित किया गया है, बचाव पक्ष का उक्त तर्क बलहीन है।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन पक्ष के द्वारा अपने कथानक के पुष्टिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे में किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाये जाने से अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त तर्क का खण्डन किया गया। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्लू0–1, पी0 डब्लू0–2 व पी०डब्लू०–3 जोकि उपरोक्त घटना के चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षीगण हैं, के द्वारा अभियोजन कथानक को ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया गया है तथा उक्त घटना में चुटहिलों को आयी चोटों की पुष्टि मेडिकल परीक्षण करने वाले साक्षी पी0 डब्लू0–4 के साक्ष्य से होती है तथा घटनास्थल की पुष्टि पी0 डब्लू0–5 के बयानों से भी होती है। न्यायालय के अभिमत में स्वतंत्र साक्षी का वर्तमान मामले में प्रस्तुत न होना स्वयं में अस्वाभाविक नहीं है तथा अभियोजन कथानक को किसी भी प्रकार संदिग्ध नही बनाता है क्योंकि सामान्यतः किसी घटना विशेष के सम्बन्ध में जहाँ एक ओर स्वतंत्र साक्षी बहुधा उपलब्ध नही होते हैं, क्योंकि अभियुक्त की दादागिरी, बदमाश किस्म का होने के भय के कारण एवं गांव में शत्रुता उत्पन्न होने के भय से लोग गवाही नहीं देना चाहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त चुटहिल जोकि स्वयं चक्षुदर्शी साक्षी हैं, जिनकी उपस्थिति घटनास्थल में स्वमेय सिद्ध है, के ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य होने पर और स्वतंत्र साक्षी की अनुपस्थिति मात्र से अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के बयान को किसी भी प्रकार अविश्वसनीय नहीं बनाती है और घटना के किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के बयान को केवल इस कारण अमान्य नहीं किया जा सकता कि वह अन्य स्वतंत्र साक्षी के बयान से सम्पुष्टिक नहीं है।

इस बिन्दु पर विधि व्यवस्था **अजय कुमार दुबे और अन्य बनाम् उ०प्र० राज्य, इलाहाबाद दण्ड निर्णय 2002 पृष्ठ–758,** का ससम्मान् अवलोकन किया। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधियों, **भजन सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए०आई०आर० 2011 सुप्रीम कोर्ट 2552 लखवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य ए० आई० आर० 1994, सुप्रीम कोर्ट 1029** का ससम्मान अवलोकन किया गया जिसमें कहा गया है कि नागरिक अपनी उपस्थिति में घटित हो

रहे अपराध के मामले में साधारणतः संवेदनहीन होते और वे जब तक आवश्यक/अपरिहार्य न हो स्वयं को न्यायालय से दूर रखते है। वास्तव में वह सोचते है कि अपराध दो व्यक्तियों एवं पक्षों के बीच दीवानी विवाद की भांति ही है और इस लिए वह उसमें खुद को सम्मिलित नहीं करना चाहते है। इसी कारण कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय के समक्ष आकर साक्ष्य नहीं दे पाता है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा गांव के किसी स्वतंत्र साक्षी को साक्ष्य में प्रस्तुत न कराया जाना अभियोजन कथानक के लिए किसी भी प्रकार घातक नहीं है और बचाव पक्ष की ओर से इंगित इस तर्क में कोई बल नहीं है।

बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण को निर्दोष बताते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर बल्वा कारित करते अपने सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर, वादिनी मुकदमा या उसके परिवारीजन के साथ कोई मारपीट, गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है कि बल्कि सत्यता यह है कि अभियुक्त खूबचन्द्र ने अपने पालतू बन्दर को उन लोगों की तरफ इशारा करके छोड़ दिया था, जिसमें धीरेन्द्र व हरीमोहन आदि के पैरों में काट लिया था तथा पुष्पा ने अपने हाथ में लिए ईट का टुकड़ा उठाकर उसे (वीरेन्द्र) को मारा, जिससे उसके सिर में काफी चोट आयी। अशोक व खूबचन्द्र ने उन्हें भद्दी–भद्दी गालियां दी और झगड़ने लगे। इस सम्बन्ध में बचाव पक्ष की ओर से कागजात सूची 221ख से नकल आरोप 222ख/2 मु०अ०सं०–489A/2010 अन्तर्गत धारा–289,336,504 भा०दं०सं० बनाम खूबचन्द्र आदि थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर की नकल, प्रथम सूचना रिपोर्ट 223ख/2 मु०अ०सं०–489A/2010 अन्तर्गत धारा–289,336,504 भा०दं०सं०, कागज सं०– 224ख/1 लगायत 224ख/18 नकल बयान पी०डब्लू०–01 लगायत पी०डब्लू०–6 विशेष वाद सं०–14/2013 राज्य बनाम खूबचन्द्र व 02 अन्य की नकल दाखिल की गयी है जोकि उपरोक्त मुकदमे का क्रास केस है तथा इस न्यायालय में विचाराधीन है। बचाव पक्ष की उपरोक्त स्वीकृति से भी उभयपक्ष के मध्य घटना की तिथि को विवाद होने के तथ्य को बल मिलता है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयानों व अभियोजन प्रपत्रों के विश्लेषण उपरांत यह साबित होता है कि अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश द्वारा मृतक सहअभियुक्तगण रमाकान्त व बृजकिशोर एवं अभियुक्त बृजमोहन (बाल अपचारी) के साथ मिलकर दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र,

जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया है।

निर्णायक बिन्दु सं0–2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य की विस्तारपूर्वक विश्लेषण किये जाने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त के मामले में अभियुक्तगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश अपराध अन्तर्गत धारा–147, 148, 452, 323/149, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट के दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल आदि, मु0 अ 0 सं0–489/2010 थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्तगण **जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश** को अपराध अन्तर्गत **धारा– 147, 148, 452, 323/149, 504, 506 भा0 दं0 सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट** के दण्डनीय अपराध में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता हैं।

अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई 0 डी0–यू0 पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई 0 डी0–यू0 पी0 6459

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।
विशेष वाद संख्या–29/2011
राज्य बनाम जयपाल व 08 अन्य

05.05.2026

बाद लंच पत्रावली दोषसिद्धगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। दोषसिद्धगण उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

विशेष लोक अभियोजक एवं दोषसिद्धगण जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश के विद्वान अधिवक्ता श्री जयपाल सिंह राजपूत एड0 को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोषसिद्धगण द्वारा दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया है। दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्धगण को अधिकतम् दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्धगण का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्धगण गरीब व मजदूर पेशा तथा परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। दोषसिद्धगण की आर्थिक स्थिति एवं उनकी अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

यह स्थापित सिद्धान्त है कि दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय को समुचित दण्ड अधिरोपित करना चाहिए जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके और पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति भी हो सके। इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति, ढंग और जिन परिस्थितियों में ऐसा अपराध कारित किया गया हो, ध्यान में रखते हुए समुचित दण्ड प्रदान करे। क्योंकि दण्ड के तहत मात्र दोषसिद्धगण को सजा देने तक न होकर इसका प्रभाव समाज पर भी परिलक्षित करना भी है। अतः अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, अभियुक्त की अवस्था तथा उनकी आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि और दोषसिद्धगण द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गयी सामग्री एवं उसके तरीके और मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त दण्ड प्रदान करना चाहिए। दोषसिद्धगण द्वारा दिनांक 24.06.2010 को समय करीब 09:00 बजे सुबह स्थान मकान वादिया, ग्राम बण्डवा, थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर पर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर अपने सामान्य उद्देश्य के अग्रसारण में विधि विरूद्ध रूप से एकत्र होकर वादिया मुकदमा के घर में घुसकर बलवा कारित करते हुए अनुसूचित जाति की वादिया मुकदमा पुष्पारानी, उसके पति खूबचन्द्र, जेठ गयादीन, लड़की सावित्री, प्रीति व प्रतिमा, लड़का विपिन व अशोक को बुरी बुरी गालियाँ देते हुए लाठी डण्डे से मारपीट कर चोटे पहुँचाने व जान से मारने की धमकी देने तथा सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द (साले कोरी) का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया है, जिसे अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया गया है।

अतः पत्रावली के सम्यक परिशीलन एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं दोषसिद्धगण द्वारा किये गये उपरोक्त अपराध को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा तथा इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

<u>दण्डादेश</u>

विशेष वाद सं0–29/2011 राज्य बनाम जयपाल एवं अन्य, मु0अ0सं0–489/2010, थाना मुस्करा जिला हमीरपुर के मामले में दोषसिद्धगण **जयपाल, श्रीपाल, हरीमोहन, शैलेन्द्र, कल्लू, देवेन्द्र, संदीप, धीरेन्द्र व सतीश** को **धारा–147 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 01 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 1,000/–रूपए (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–148 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02 वर्ष (दो वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 2,000/–रूपए (हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह (दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–452 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 04 वर्ष (चार वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 5,000/–रूपए (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह (चार माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–323/149 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 01 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 1,000/–रूपए (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02 वर्ष (दो वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 2,000/–रूपए (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह (दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–506 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02 वर्ष (दो वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 2,000/–रूपए (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह (दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण उपरोक्त को **धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 04 वर्ष (चार वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 5,000/–रूपए (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह (चार माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

समस्त सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषसिद्धगण द्वारा जेल में बितायी गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाती है।

दोषसिद्धगण का सजायावी वारंट बनाकर उसे उपरोक्त शास्ति भुगतने हेतु जिला कारागार, हमीरपुर भेजा जाए।

दोषसिद्धगण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 30,000/–रूपये की धनराशि चुटहिलों को देय होगी। उपरोक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मियाद अपील बाद देय होगी।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर को इस आशय से भेजी कि उपरोक्त से संबंधित योजनाओं का लाभ पीड़ित पक्ष को प्रदान कराया जाए।

दोषसिद्धगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, हमीरपुर को धारा–365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में नियमानुसार सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 05.05.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459